



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 438 वर्ष 2026

श्रीमती प्रेमा देवी

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : कुमार अमित

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री कुमार अमित तथा राज्य के लिए विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री अनुरूप कुमार को सुना।
2. याचिकाकर्ता की यह शिकायत है कि वह दिनांक 31.07.2019 को स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के रूप में अधिवर्षिता प्राप्त कर सेवानिवृत्त हुआ, तथापि, उसे सेवानिवृत्ति वेतन आनुतोषिक का भुगतान नहीं किया गया है।
3. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता के दावा का निर्णय तीसरे प्रत्यर्थी, अतिरिक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन मंडल, प्रयागराज, प्रयागराज द्वारा किया जाएगा।
4. बार के समक्ष किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि याचिकाकर्ता दिनांक **30.01.2026** तक तीसरे प्रत्यर्थी, अतिरिक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन मंडल, प्रयागराज, प्रयागराज के समक्ष रिट याचिका की स्वप्रमाणित प्रति तथा आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक सम्यक अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा। तत्पश्चात, तीसरे प्रत्यर्थी द्वारा याचिकाकर्ता के दावा का निर्णय दो माह की अवधि के भीतर किया जाएगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. उक्त अवलोकनों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

दिनांक 19 जनवरी, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।